



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या ५४६ /नियोजन अनुभाग/2025

दिनांक: ११/१२/२५

## 'सार्वजनिक सूचना'

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि कौशाम्बी योजनान्तर्गत नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या E/GH-1 (क्षेत्रफल 4840.00 वर्ग मीटर) के स्थान पर व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2438/9-आ-3-98-60एल.सू.सी./96, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 में दिये गये प्रावधानों के क्रम में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 170वीं बैठक दिनांक 02.09.2025 में मा० बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके क्रम में कौशाम्बी योजना के तलपट मानचित्र में प्रश्नगत भूखण्ड के संशोधन किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त तलपट मानचित्र का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में प्राधिकरण के स्वागत कक्ष एवं मुख्य नगर नियोजक कार्यालय कक्ष में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव प्राधिकरण के स्वागत कक्ष एवं मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।